आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–100/2017–18 राज्य बनाम रणवीर दास उर्फ राणा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक की गई कार्रवाई व पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	***आदेश*** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3062/डी0शा0, दिनांक 19.09.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत परवत्ता थाना कांड संख्या–254/17 दिनांक 28.07.2017 में वादी स0अ0नि0 श्री विनोद पासवान परवत्ता थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम–परवत्ता दास टोला में रणवीर दास उर्फ राणा पे0–दशरथ दास, साकिन–परवत्ता, थाना–परवत्ता जिला–खगड़िया के पक्का मकान के छत पर जाने वाली सीढी के समीप एक नायलॉन के झोला हरा, लाल ,पीला ,ब्लू रंग डोरीदार में रखा रॉयल स्टेग कम्पनी 375 एम0एल0 का 09(नौ) बोतल शराब बरामद किया गया जप्त मकान के अधिहरण का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, गोगरी का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:– जप्ती सूची के अनुसार गुप्त सूचना कि रणवीर दास उर्फ राणा पिता–दशरथ दास के पुत्र धीरज कुमार एवं नीरज कुमार द्वारा अवैध रूप से शराब का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस आशय का सनहा दर्ज करते हुए इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को देते हुए सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस निरीक्षक, गोगरी अंचल के नेतृत्व में थानाध्यक्ष परवत्ता सशस्त्र बल एवं पुलिस जीप के साथ प्रस्थान कर 19.45 बजे रणवीर दास उर्फ राणा पिता–दशरथ दास, साकिन–परवत्ता दास टोला के घर पर विधिवत छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में एक व्यक्ति को एक नयालॉन का झोला में कुछ सामान लेकर घर के सीढ़ी से भागते हुए घर के छत पर चढ़ते देखा गया, जिसको पीछा कर साथ के बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति के नाम पता पूछने पर अपना नाम धीरज कुमार पिता–रणवीर दास उर्फ राणा सा0–परवत्ता दास टोला थाना–परवत्ता जिला–खगड़िया बतलाये। पकड़े गए व्यक्ति के पास एक नायलॉन झोला का विधिवत तलाशी लेने पर 09(नौ) बोतल 375 एम0एल0 का रॉयल स्टेग विदेशी शराब बरामद हुआ। छापमारी के क्रम में धर के महिला द्वारा शोर शराबा करने के क्रम में नीरज कुमार पिता–रणवीर दास उर्फ राणा मौका	

का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया । पकड़ाये व्यक्ति धीरज कुमार के घर को विधिवत शील बन्द किया गया है। जिसके सम्बन्ध में परवत्ता थाना कांड संख्या 254/17 दिनांक 28.07.17 धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत धीरज कुमार एवं नीरज कुमार दोनों पिता—रणवीर दास उर्फ राणा सा० परवत्ता जिला—खगड़िया के विरूद्ध दर्ज किया गया है।

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

रणवीर दास उर्फ राणा पे०—दशरथ दास, साकिन—परवत्ता दास टोला, थाना—परवत्ता, जिला—खगड़िया को डी०बी०नं० 349 दिनांक 03. 10.17 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी०बी०नं० 348/विधि, दिनांक 03. 1017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी को भेजा गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी कानून को मानने वाला न्यायप्रिय व्यक्ति है। उनके पुत्रों को ग्रामीण राजनीति के तहत नामित किया गया है। विपक्षी के वृद्ध एवं लाचार पिता श्री दशरथ दास पे० रामपाल दास सा०—परवत्ता, थाना—परवत्ता, जिला—खगड़िया के मकान को सील बन्द कर अधिहरण का प्रस्ताव दिया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। उन्हें दूसरा कोई आवास हेतु मकान नहीं है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उचित छान बीन के बिना प्रस्ताव में वर्णित मकान को सील बन्द कर दिया गया है। उनके द्वारा कारण पृच्छा को स्वीकार कर उक्त मकान में रहने की अनुमति देने तथा अधिहरण की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि विपक्षी एक काफी गरीब व्यक्ति हैं उन्हें ग्रामीण राजनीति के तहत फसाया गया है। उन्हें रहने के लिए और कोई मकान नहीं है। विपक्षी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विपक्षी के परिस्थिति को देखते हुए उक्त मकान को अधिहरण की कार्रवाई से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

जप्ती के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मकान का उपयोग विपक्षी द्वारा इरादतन शराब के काराबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत मकान से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मकान को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया

शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत मकान का उपयोग शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। प्रतिवादी द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि उनके घर से शराब बरामद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मकान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि:–

इस अपराध में उपयोग में लाये गये मकान जिसकी चौहद्दी निम्नवत है:–

1. पूरब–पी0सी0सी0 ढलाई सड़क, पश्चिम–अभियुक्त का खपड़ैल घर एवं परती जमीन, उत्तर–रविन्द्र दास पे0–दशरथ दास का पक्का मकान, दक्षिण–मनोज दास व पवन दास पे0 दशरथ दास का परती जमीन एवं घर, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाले घर किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में निदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58 (5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे मकान को उचित मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

4

आदेश की क्रम और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	02.	3

डी0 बी0 नं0 616 /विधि, दिनांक 6/11/2017

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
6/11/17 खगड़िया।